रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2011/अग्रहायण 25, 1933
No. 675] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2011/AGRAHAYANA 25, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 887(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (5) और उप-धारा (8) और धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये तारीख 18-12-2011 से प्रवृत होंगे।

2. कम्पनी विनियम, 1956 में, विनियम 2 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) 'प्रादेशिक निदेशक' से केन्द्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए किसी प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है :—

(1)	(2)	(3)
(i) प्रादेशिक निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)	हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
(ii) प्रादेशिक निदेशक	उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, अहमदाबाद	राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

(1)	(2)	(3)
(iii) प्रादेशिक निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र ।
(iv) प्रादेशिक निदेशक	दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, अंदमान और निकोबार दीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
(v) प्रादेशिक निदेशक	पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी निदेशालय मुख्यालय कोलकाता	पश्चिमी बंगाल राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, अरूणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य और त्रिपुरा राज्य ।
(vi) प्रादेशिक निदेशक	दक्षिण पूर्व क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, हैदराबाद	कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य ।"

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल.-V]

यू. सी. नाहटा, निदेशक (निरीक्षण और अन्वेषण)

पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत का राजपत्र, का.नि.आ. सं. 432ख, तारीख 18-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

1. सा.का.नि. सं. 188, तारीख 9-1-1958
2. सा.का.नि. सं. 399, तारीख 24-3-1962
3. सा.का.नि. सं. 1850, तारीख 1-12-1966
4. सा.का.नि. सं. 1445, तारीख 16-9-1967
5. सा.का.नि. सं. 668, तारीख 10-6-1973
6. सा.का.नि. सं. 523, तारीख 11-7-1989
7. सा.का.नि. सं. 367(अ), तारीख 31-5-1991
8. सा.का.नि. सं. 924(अ), तारीख 14-12-1992
9. सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 23-9-2005
10. का.आ. स. 1291(अ), तारीख 30-7-2007
11. सा.का.नि. सं. 866(अ), तारीख 29-10-2010
12. सा.का.नि. सं. 304(अ), तारीख 6-4-2011
13. सा.का.नि. सं. 453(अ), तारीख 14-6-2011

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2011

G.S.R. 887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of Section 25 and sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 18-12-2011.

2. In the Companies Regulations, 1956, in regulation 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) 'Regional Director' means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director for the respective regions as under :—

(1)	(2)	(3)
(i) Regional Director	North Region Directorate Headquarter at Noida (Gautam Budh Nagar)	States of Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territory of Chandigarh and National Capital Territory of Delhi.
(ii) Regional Director	North Western Region Directorate Headquarter at Ahmedabad	States of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chattisgarh and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
(iii) Regional Director	Western Region Directorate Headquarter at Mumbai	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman and Diu.
(iv) Regional Director	Southern Region Directorate Headquarter at Chennai	States of Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry. Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshadweep.
(v) Regional Director	Eastern and North Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkata	States of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Orissa, Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland. Mizoram, Manipur and Tripura.
(vi) Regional Director	South East Region Directorate Headquarter at Hyderabad	States of Karnataka and Andhra Pradesh.

[F. No. 5/18/2005 CL. V]

U. C. NAHTA, Director (Investigation & Inspection)

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 432B, dated the 18th February, 1956 and subsequently amended by :—

1. GSR No. 188, dated 9-1-1958
2. GSR No. 399, dated 24-3-1962
3. GSR No. 1850, dated 1-12-1966
4. GSR No. 1445, dated 16-9-1967
5. GSR No. 668, dated 10-6-1973
6. GSR No. 523, dated 11-7-1989
7. GSR No. 367(E), dated 31-5-1991
8. GSR No. 924(E), dated 14-12-1992
9. GSR No. 610(E), dated 23-9-2005
10. S.O. No. 1291(E), dated 30-7-2007
11. GSR No. 866(E), dated 29-10-2010
12. GSR No. 304(E), dated 6-4-2011
13. GSR No. 453(E), dated 14-6-2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.